



2026:AHC:22884

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 421 / 2026

तेरासु

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 14 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पवन कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. प्रस्तुत रिट याचिका उ.प्र. जोत चकबंदी नियमावली के नियम 109 के तहत कार्यवाहियों से उत्पन्न एक अपील में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यू.पी.सी.एच. एक्ट के प्रावधानों के तहत उच्चतर न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली प्रस्तुत रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का खंडन नहीं किया है।

4. अतः, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रस्तुत रिट याचिका पोषणीयता के आधार पर खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, जे.)

3 फरवरी, 2026

वी आर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"